न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 3 / 39 / 2023 दायर दिनांकः–13 / 12 / 2023

जीसीएमएस नं0ः– 2023 / 630 निर्णय दिनांकः–28 / 10 / 2025

बउनवान

1. रामखिलाडी पुत्र कजोडी जाति जाटव निवासी मथुराहेडा तहसील कठूमर जिला अलवर।

–––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर जिला अलवर

–––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956

उपस्थितिः–1.श्री मुकेश चन्द अधिवक्ता प्रार्थी
2.तहसीलदार कठूमर पैरोकार अप्रार्थी

–::निर्णय::–

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 303 351, 128, 116, ग्राम मथुराहेडा तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। प्रार्थी का नाम भब्बो पुत्र कजोडी ना होकर रामखिलाडी पुत्र कजोडी है। प्रार्थीया के आधार कार्ड वन्य पहचान के दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामखिलाडी पुत्र कजोडी दर्ज है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का नाम रामखिलाडी के स्थान पर भब्बो दर्ज रहने से प्रार्थी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है।प्रार्थी उक्त आराजी पर अपना नाम भब्बो स्थान पर रामखिलाडी दर्ज कराना चाहते है। प्राथी ने अप्रार्थी से राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी वावत भब्बो पुत्र कजोडी ना होकर रामखिलाडी पुत्र कजोडी दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में भब्बो पुत्र कजोडी से रामखिलाडी पुत्र कजोडी दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलब किया गया। दिनाक 21.06.2024 को अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीयाने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में जमाबन्दी हाल वाके ग्राम मथुराहेडा, नकल इन्तकाल संख्या 192 छायाप्रति जनआधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचानपत्र, आधारकार्ड, विजली का बिल, की छाया प्रति पेश की की है जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन कार्यालय ग्राम पंचायत मथुराहेडा का प्रमाण पत्र दिनांक 15.11.2024 पेश किया है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम भब्बो पुत्र कजोडी ना होकर रामखिलाडी पुत्र कजोडी है जिसकी ताइद प्राथी द्वारा पेश किये गये राजस्व रेकार्ड पत्रादि से होती है। ऐसी दुरुस्ती से राज्य हित प्रमावित नहीं होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम उक्त आराजी से भब्बो पुत्र कजोडी के स्थान पर रामखिलाडी पुत्र कजोडी दुरुस्त किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि व ग्राम पंचायत मथुराहेडा के प्रमाण पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर यह पाया गया कि पहचान के दस्तावेजात में रामखिलाडी पुत्र कजोडी अंकित है। ग्राम पंचायत ने अपने प्रमाण पत्र में रामखिलाडी पुत्र कजोडी होना प्रमाणित किया है व उक्त आराजी से प्रार्थीया का नाम भब्बो पुत्र कजोडी के स्थान पर रामखिलाडी पुत्र कजोडी शुद्व करने की सिफारिश की है। अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि से प्रार्थी का नाम भब्बो पुत्र कजोडी ना होकर रामखिलाडी पुत्र कजोडी होना सावित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956 साबित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम धारा–1956 साबित होने से स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 303 351, 128, 116, ग्राम मथुराहेडा तहसील कठूमर पर प्रार्थी का नाम भब्बो पुत्र कजोडी के स्थान पर रामखिलाडी पुत्र कजोडी दुरूस्त करने के आदेश

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेष है कि वो उक्तानुसार हाल जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.